"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2007—माघ 7, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

आदेश

क्रमांक 923/250/21-ब/छ. ग./07.— कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 के उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से, श्री सुरेन्द्र तिवारी, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ को वापस करती है.

Raipur, the 14th January 2007

ORDER

No. 923/250/XXI-B/C. G./07.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984, the State of Chhattisgarh hereby, in consultation with the High Court of Chhattisgarh returns the services of Shri Surendra Tiwari, III Additional Principal District Judge, Family Court, Durg to the High Court of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.